

**Haryana Government, Department of Fisheries
Bays No. 31-32, Sector-4, Panchkula**

e- Auction Brochure

**Procedure of e-Auction of Fishing Rights of Notified
Waters in Haryana State**

THROUGH E-AUCTION PORTAL -

<https://harfish.sets.co.in>

Particular	Start Date	End Date
Registration/EMD Payment Date and Time	21/08/2020 From 12.00 Noon	25/08/2020 up to 05.00 PM
e-Auction Start Date & Time	27/08/2020 From 9.00 A.M.	27/08/2020 Up to 12.00 Noon

For any help during registration process & e-Auction, the bidders may refer to the 'User Manual' available on the e-auction portal <https://harfish.sets.co.in> or Helpline No. 0172-5210277 (Sh. Ankur, Mob. No. 08288936031) Email ID – setshkcl@gmail.com

PROCEDURE FOR e-Auction of Fishing Rights of Notified Waters in Haryana State of Districts Jind and Palwal & Faridabad.

A. HOW TO PARTICIPATE:

1. Intending bidders will be required to sign-up and obtain Username and password on the portal <https://harfish.sets.co.in> by clicking on the 'Register Now' link and fill the details to create login ID and password. Thereafter he/she needs to pay Rs.400/- plus GST online as Registration Fee which will be valid for one year to participate in any event on the portal using the same Username and password.
2. Vendor/Bidder ID and Username both will be created and will be sent by a confirmation e-mail to the intending bidder after the registration process is complete.
3. For necessary instructions regarding participation in e-Auction of Fishing Rights of Notified waters of Haryana State, please visit the website and click on "Help" link available at the Home Page.
4. Digital signature is not required for participation in e-Auction.
5. The intending bidders shall deposit the Earnest Money Deposit (EMD) in shape of offline Demand Draft in favour of Director Fisheries in order to participate in the e-Auction latest by 25-08-2020 till 04:00 PM and Bid approval date is 25-08-2020 from 04.00 PM to 26.08.2020 till 05.00 PM.
6. Once e-Auction is created by Fisheries and published on the e-Auction Portal, the eligible bidders shall receive an email after which, they shall be required to pay Rs.300/- plus GST Online as Participation fee through payment link '[Pay Auction Fees](#)' on the portal.
7. The intending bidder participating in the e-Auction can submit his/her bid(s) during the live auction on 27-08-2020 from 09:00 am to 12:00 Noon.

B. Clause Rule:

1. In case any bid in the e-Auction is received 10 minutes prior to normal closure time for the bids i.e. bid received between 11:50 AM and 12:00 noon, then the time for closure of the e-auction would be extended automatically by 10 minutes, so that equal opportunity is made available to the persons participating in the bidding

process. Such extensions of ten minutes will continue till bids are received within next 10 minutes of last bid for any District, otherwise the same would get concluded.

2. In case, the bidding would continue during such extensions of 10 minutes, the bidding process will finally conclude at 12:30 PM and no further extension would be given thereafter.
3. The minimum bid incremental value during the initial time provided (i.e. from 9:00 AM to up to 12:00 noon) will be multiple of Rs.1000 (As shown in Table-‘A’ District / Districts). However, the increment during extended period 27-08-2020 from 12:00 noon to 12:30 PM) will be multiple of Rs. 2000/- (Rs. Two thousand) instead of Rs. 1000/- (Rs. One Thousand).
4. The date for e-Auction for the Districts as per Table-‘A’, will be 27-08-2020. e-Auction of those districts which will not be completed on 27.08.2020 shall again be held on Next Month .
5. **District Wise detail (Table –‘A’):-**

Sr. No.	Name of District/Districts	Reserve Price (in Rs.)	Earnest Money (in Rs.)	Detail of Bank Account for Deposition of 1/3 rd of e-auction amount and 5% of contract amount as Security
1.	Faridabad & Palwal	599300/-	59930/-	District Fisheries Officer Palwal Bank Name: Union Bank of India Bank IFSC Code: UBIN0561509 Bank Address: Bye Pass Road Agra chowk, Palwal Bank A/C No.: 615002010002287 Mobile No.: 9873525087
2.	Jind	560670/-	56067/-	District Fisheries Officer Jind Bank Name: State bank of India Bank IFSC Code: SBIN0050409 Bank MICR Code:126002019 Bank Address: State Bank of India, Mini Secreatariate, Jind Bank A/C No.: 65001585586 Mobile No.: 9812055284

C. DOCUMENT NEEDS TO UPLOAD:

- (i) Copy of the Partnership deed or Article of Association (in case of Fisherman Co-operative Society registered under the law relating to the registration of Co-operative Societies), or an affidavit (in case of sole proprietor). No transfer or

addition or deletion of the partners/Directors will be permissible before execution of the agreement.

- (ii) A copy of authority letter by the Partnership Firms or Copy of resolution of Fisherman Co- operative Society of the Company in favour of the person who shall be offering the bids online for such intending agency.
- (iii) Earnest Money will have to be deposited, of the District/Districts for which bid has to be made, shown in the Table-‘A’ against each District/Districts, through offline payment in due course of time i.e. up to 25.08.2020 till 04:00PM. In case the intended bidder fails to pay offline Demand Draft of EMD fee under the stipulated time frame will not be allowed to enter in e-Auction of Fishing Rights of Notified waters.

Note:- Any document uploaded as per (i), (ii) and (iii) above at later stage/ after e-Auction found to be wrong/ false shall invite revocation /cancellation of bid and forfeiture of amount deposited at the time of e-auction apart from debarring the bidder from participation in any subsequent bids for a period of **3 years**

E-auction की शर्तें :-

- 1 अधिसूचित पानियों की नीलामी की समय अवधि 01.09.2020 से 31.08.2021 तक होगी।
- 2 मत्स्य नियमावली 1996 के अधीन हरियाणा राज्य के अधिसूचित पानियों में मछली पकड़ने के अधिकारों की ई-नीलामी सम्बन्धित जिले के उप-निदेशक मत्स्य की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा खुली बोली e-auction द्वारा करवाई जायेगी।
- 3 मछली ठेके नीलाम करने वाली समिति की अध्यक्षता सम्बन्धित जिले का उप-निदेशक मत्स्य करेगा। नीलामी समिति की सिफारिश के आधार पर निरीक्षण उपरांत नीलामी की मंजूरी निदेशक, मत्स्य पालन द्वारा दी जायेगी।
- 4 सरकारी पानी जो नीलाम किये जा रहे हैं, में कोई व्यक्ति बिना लाईसेंस के मछली नहीं पकड़ सकता। लाईसेंस सम्बन्धित जिले का अधिकारी देगा।
- 5 नीलामी करने वाला अधिकारी अधिक से अधिक बोली मन्जूर करने का पाबन्द नहीं होगा।
- 6 नीलामी करने वाला अधिकारी जिला के पानियों को एक या एक से अधिक भागों में नीलाम करने का अधिकार रखता है।
- 7 अगर अधिक से अधिक बोली किसी फिशरमैन को-ओपरेटिव सोसाईटी, जो कि मौजूदा कानून के मुताबिक मन्जूर सुदा है, की है तो उससे ज्यादा बोली वही मन्जूर होगी जो

सोसाईटी की बोली से 10 प्रतिशत अधिक होगी। अगर वही सबसे अधिक बोली पिछले तीन सालों की औसत से कम होगी तो अधिकारी उस अधिक से अधिक बोली को या फ्लैशमैनको-ओप्रेटिव सोसाईटी की बोली को मंजूर करने का पाबन्द नहीं होगा और ठेका दोबारा नीलाम करने का अधिकारी होगा।

- 8 जिस ठेकेदार की बोली मंजूर होगी, उस सफल बोलीदाता को ठेके की पूर्ण धनराशि मौके पर जमा करवानी होगी या ठेके की कुल बोली का $1/3$ भाग तथा कुल बोली की 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में मौके पर जमा करवानी होगी, शेष $2/3$ हिस्से की राशि नीलामी की तिथि से 30 दिन के अन्दर-2 जमा करवानी होगी। ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा मौके पर जमा करवाई गई $1/3$ हिस्से की धनराशि धरोहर राशि तथा 5 प्रतिशत जमा करवाई गई कैश सिक्क्योरिटी जब्त कर ली जायेगी। यदि उच्चतम बोली की धनराशि **50,000/-रु०** से कम है तो पूरी धनराशि का भुगतान मौके पर ही करना होगा। **(नोट:-** उक्त वर्णित धनराशि टेबल- ए में दर्शाए गए विवरणानुसार सम्बन्धित जिला अधिकारी के खाता संख्या में RTGS/NEFT के माध्यम से Online जमा करवानी होगी।)
- 9 यदि लाईसैंसदार इन कानूनों में से या लाईसैंस की किसी शर्त को तोड़ता है तो लीगल कार्यवाही के अलावा उसकी जमानत की रकम या कुछ भाग, जो भी लाईसैंस जारी करने वाला अधिकारी ठीक समझे, जब्त कर लिया जायेगा। यदि लाईसैंस रद्द नहीं किया जाता तो ठेकेदार जमानत जब्त करने की सूचना लाईसैंस जारी करने वाले अधिकारी से मिलते ही जमानत की रकम या उसका जब्त किया गया भाग तुरन्त जमा करवाकर जमानत की रकम पूरी करेगा।
- 10 ठेकेदार द्वारा नीलामी की पूर्ण राशि जमा करवाने तथा करारनामा देने पर फार्म (बी) पर लाईसैंस जारी कर दिया जायेगा।
- 11 लाईसैंस या ठेके की अवधि कानून के अन्तर्गत पहली सितम्बर से अगले वर्ष की 31 अगस्त तक होगी।
- 12 लाईसैंसदार या एजेंट या परमिटदार पहली जुलाई से 31 अगस्त तक बन्दी के मौसम में बन्सी डोरी और हाथ की डोरी के ईलावा किसी भी साधन से मछली नहीं पकड़ेगा।
- 13 लाईसैंसदार खुद या उसके नुमाइन्दे जिनके पास सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी के हस्ताक्षर वाले परमिट होंगे, वही मछली पकड़ने का हकदार होगा।

- 14 ठेकेदार स्वयं या उसके एजेंट का नुमाईदा उन पानियों में जहां शिकार बन्द किया गया है, मछली नहीं पकड़ेगा । इसके साथ नियमावली 1996 की धारा 10 के अर्न्तगत यमुनानगर के निम्नलिखित पानियों में मछली पकड़ने की पाबन्दी होगी :—
- | | |
|----------------------|---|
| 1. यमुना नदी | हथिनी कुण्ड से गांव कलेसर तक । |
| 2. पश्चिमी यमुना नहर | गांव जैधरी दादुपुर हैड वर्क्स आर.डी. 51900 से 66347 तक मुख्य लाईन अपर तथा दादुपुर हैड वर्क्स से गांव अमादलपुर तक आर.डी. 0 से 32600 तक मुख्य लाईन लोअर |
- 15 लाईसैसदार या उसके एजेंट का नुमाईदा नीचे लिखे हुए मछली पकड़ने के साधनों के ईलावा किसी ओर तरीके से मछली नहीं पकड़ सकते हैं।
- (अ) सभी प्रकार के जाल जिनमें खानों (घेरों) की एक गांठ से दूसरी गांठ तक का अन्तर चार सैंटीमीटर हो या चारों ओर का घेरा 16 सैंटीमीटर हो।
- (ब) कुण्डियों वाली लाईन।
- (स) बन्सी डोरी।
- (द) हाथ धागा कुण्डियां।
- 16 ठेकेदार पुलो के उपर और नीचे 100 मीटर तक सिवाए कुण्डी डोरी के किसी ओर साधन से शिकार नहीं कर सकता।
- 17 ठेकेदार यमुना नदी के रेलवे पुल जगाधरी के 200 मीटर उपर व नीचे तथा घग्गर नदी के 200 मीटर उपर व नीचे सिवाए बन्सी डोरी के किसी भी अन्य साधन से मछली नहीं पकड़ सकता।
- 18 ठेकेदार उसके एजेंट या नुमाईदें नीलाम हुए पानी में कोई स्थाई ईजनों का मछली पकड़ने के लिये न तो निर्माण करेगा और न ही करवायेगा। महा-जाल मछली की रूकावट के लिये नहीं लगायेगा।
- 19 ठेकेदार जहर डाल कर, बिजली लगाकर, बारूद मार कर या अन्य जहरीली औषधि का, पटाखे वाली चीज द्वारा मछली नहीं पकड़ेगा और न ही वह अपने एजेंट व नुमाईदें को पकड़ने देगा।
- 20 लाईसैसदार को अपना लाईसैस उन अधिकारियों को दिखाना होगा, अन्यथा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को पंजाब मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1914 की धारा 6 के अधीन बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने के लिये सशक्त है।

- 21 लाईसैंसदार उसके एजेंट या नुमाईदे न तो 30 सैटीमीटर से कम लम्बी कतला, राहू, मिरगल, कलवास, माहशेर, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प व कामन कार्प किस्म की कोई मछली बेचने अथवा विनिमय के लिये नहीं पकड़ेगा तथा न ही प्रदर्शित करेगा।
- 22 ठेकेदार निदेशक मत्स्य से पूर्व प्राप्त स्वीकृति के बिना किसी के नाम ठेका तबदील नहीं कर सकता है।
- 23 ठेकेदार को एक परमिट रजिस्टर रखना होगा, जिसमें जिन व्यक्तियों को परमिट दिया गया है, उनके नाम पते दर्ज करने होंगे।
- 24 लाईसैंसदार को एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें पकड़ी गई मछली, बेची गई मछली का वजन दर्ज करना होगा। जिस साधनों द्वारा मछली पकड़ी गई हो वह लिखने होंगे तथा जिस किस्म की मछलियां हो और जहा से पकड़ी गई हो लिखना होगा। मछलियों के थोक व प्रचून भाव भी लिखने होंगे।
- 25 ठेकेदार एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक मास की 5 तारीख तक सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी को भेजेगा, जिसमें पिछले पैरा में दी गई सारी सूचना होगी। अगर ठेकेदार रिपोर्ट निश्चित समय पर नहीं भेजता है तो 10/- रु० प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन तक जुर्माना वसूल किया जायेगा। यदि वह दर्शाई गई अवधि के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसका लाईसैंस रद्द किया जा सकता है।
- 26 ठेकेदार उस मछली पर कमीशन नहीं लेगा जो मछली विभाग उसको बेचने के लिये देगा।
- 27 यदि मछली ठेकेदार तथा उसका एजेंट अथवा उसका नामजद व्यक्ति नियमों में किसी प्रकार के उल्लंघन के सम्बन्ध में जो उसके ध्यान में आता है, उसकी सूचना ईलाके के तहसीलदार या उपायुक्त तथा विभाग के अधिकारी को देने के लिये बाध्य होगा।
- 28 ठेकेदार सरकार से किसी प्रकार का कोई भी मुआवजा पानी गन्दा होने, बाढ के आ जाने या कीमतों के घट जाने या कानूनी कार्यवाही करने के कारण या किसी अन्य कारण से नहीं ले सकता।
- 29 ठेकेदार किसी ऐसे नुकसान के लिये मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं होगा जो उसे इन नियमों के किसी उपबन्ध अथवा उसकी अनुज्ञप्ति के किसी निबन्धन के उल्लंघन के लिये मत्स्य पालन विभाग के किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध की गई कार्यवाही के कारण हुआ हो।

- 30 निदेशक मत्स्य पालन विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मछली के हिसाब-किताब की जांच-पड़ताल के लिये ठेकेदार या मछली पकड़ने, स्टोर करने या मछली बेचने की जगह में दाखिल हो सकता है और रिकार्ड देख सकता है।
- 31 कानून के विरुद्ध मछली पकड़ने पर ठेकेदार का तमाम मछली पकड़ने का सामान जब्त किया जा सकता है और नजदीकी पुलिस थाने में ले जाया जा सकता है तथा पकड़ी गई मछली जब्त करके नीलाम की जा सकती है।
- 32 यदि ठेकेदार या उसका एजेंट का नुमाइन्दा इन कानूनों में से किसी को तोड़ता है या लाइसेंस की किसी शर्त को तोड़ता है, तो मत्स्य विभाग द्वारा कानून के अधीन कार्यवाही करने के अतिरिक्त उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इस हालात में ठेका दोबारा नीलाम किया जा सकता है और लाइसेंसदार को पुनः नीलाम करने का खर्चा तथा जो घाटा सरकार को होगा, देना पड़ेगा। लाइसेंस रद्द होने की हालात में जारी किये गये परमिट भी रद्द समझे जायेंगे।
- 33 लाइसेंस जारी करने वाला अधिकारी नीलाम किये हुए पानियों में बन्सी डोरी के लाइसेंस जारी कर सकता है।

इन लाइसेंसों की फीस निम्न प्रकार होगी:—

1. एक वर्ष के लिये	100 /—रु०
2. एक माह के लिये	50 /—रु०
3. एक सप्ताह के लिये	25 /—रु०
4. दैनिक	5 /—रु०

- 34 विभाग नीलाम किये हुये पानियों में से किसी भी साइज की मछली रिसर्च के लिये, बढ़ोतरी के लिये किसी भी समय और किसी भी साधन से पकड़ सकता है। ठेकेदार इसके लिये कोई भी मुआवजा नहीं ले सकता।
- 35 यदि अधिसूचित पानियों में कोई मागूर मछली पाई जाती है तो ठेकेदार को उसे मत्स्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के सामने नष्ट करना होगा।
- 36(क) केवल सामान्य वर्ग से संबंधित सफल बोलीदाता के लिए अधिसूचित पानियों में मछली पकड़ने के अधिकारों की प्राप्ति पर स्वीकृत बोली के 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा 4,00,000 /—रु० की वित्तीय सहायता **Intensive Fisheries Development Programme** स्कीम के अंतर्गत प्रदान करने का प्रावधान है।
- 36(ख) अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सफल बोलीदाता के लिए अधिसूचित पानियों में मछली पकड़ने के अधिकारों की प्राप्ति पर स्वीकृत बोली के 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा

- 4,00,000/— रु0 की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। उस सफल बोलीदात के पास अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड/पैन कार्ड व हरियाणा का निवासी होना जरूरी है।
- 37 यमुनानदी में मछली पकड़ने के अधिकार के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यमुनानदी का फैलाव पड़ोसी राज्य (उत्तर प्रदेश) में मछली पकड़ने पर रोकने के लिये हरियाणा सरकार/मत्स्य विभाग की जिम्मेवारी नहीं होगी ना ही मत्स्य विभाग हरियाणा इस सम्बन्ध में कोई मुआवजा देगा।
- 38 राज्य के अधिसूचित पानियों में नदिया, नहरे, नाले, झीले यानि हरियाणा नियमावली 1996 में नियम-1(2)के तहत दी गई पानियों की अनुसूची के अलावा कोई जल संसाधन शामिल नहीं है।
- 39 सफल बोलीदाता को कुल नीलामी की धनराशि का 1.5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी व 500/—रु0 प्रति केस रजिस्ट्रेशन फीस के साथ विभाग से करारनामा करना होगा।
- 40 उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक ठेकेदार को हरियाणा मत्स्य नियमावली 1996 में दर्शाई गई शर्तों की भी अनुपालना करनी होगी।
- 41 नीलामी में भाग लेने वाले सभी ठेकेदार सबसे उंची बोली Online देख सकते है सबसे उंची बोली देने वाले को उनके registered email/Mobile Number/SMS द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।
- 42 जी०एस०टी० नियमानुसार लागू होगा।
- 43 हालांकि e-auction का विस्तृत वर्णन दिए जाने बारे सावधानी बरती गई है फिर भी अनजाने में किसी मानवीय भूल के कारण कोई गलती को नीलामी के बाद भी लेकिन अनुबन्ध से पहले ठीक कर दिया जाएगा।
- 44 नीलामी प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए नीलामी करने/नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

निदेशक मत्स्य पालन विभाग हरियाणा
पंचकूला।